

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (U-20) अलेसे- I/1230-1237

दिनांक:- 26/09/2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1338 दिनांक 23.09.2022 द्वारा श्री उत्तम चन्द जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को निलम्बित किया गया था एवं श्री जैन के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय ज्ञापन क्रमांक 1155-61 दिनांक 15.09.2023 जारी किया गया है।

श्री जैन के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही जारी रखते हुये श्री जैन को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल कर इनका पदस्थापन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय (छात्र) (एफएसी), भीलवाडा में किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 2 (3) वित्त/राजस्व/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 22.09.2023 के क्रम में जारी किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

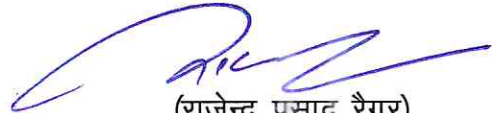
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (U-20) अलेसे- I/1230-1237

दिनांक:- 26/09/2023

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2 (3) वित्त/राजस्व/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 22.09.2023 के क्रम में।
2. प्राचार्य, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय (छात्र) (एफएसी), भीलवाडा
3. कोषाधिकारी, उदयपुर (ग्रामीण)।
4. कोषाधिकारी, भीलवाडा।
5. श्री उत्तम चन्द जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पदस्थापन कार्यालय में अविलम्ब कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करें।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. पदस्थापन/गार्ड फाईल



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)